राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 9 (4)ब.घो.71/23-24/ईडब्लयूएस/सान्याअवि/2023/ 6830 जयपुर, दिनांकः 08-09-23

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 71 (2)/2023-24 की अनुपालना में वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 162300653 दिनांक 20.04.23 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में आर्थिक कमजोर वर्ग विकास कोष के अन्तर्गत आर्थिक कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2023-24 से संचालित की जाती है।

उक्त योजना का संचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (PMS EBC) जो कि वर्ष 2022-23 से पीएम यशस्वी योजनान्तर्गत नवीन प्रावधानों के अनुसार संचालित है, के अनुरूप किया जायेगा।

उक्त योजनान्तर्गत निम्न प्रावधान किये जाते है :-

1. **आय सीमा** - विद्यार्थी के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.50 तक हो।
2. **वर्ग-** विद्यार्थी आर्थिक कमजोर वर्ग (सामान्य वर्ग) का सदस्य हो।
3. विद्यार्थी को दी जाने वाली राशि :-

समूह	पाठ्यक्रम	शैक्षणिक भत्ता	शुल्क	कुल देय राशि (वार्षिक)
1	एम्स, आईआईटी, एमबीबीएस, एलएलएम इत्यादि	10000	10000	20000
2	बी.फार्मा, एलएलबी, बीएड आदि	8000	5000	13000
3	बीए, बीएससी, बी.कॉम आदि	6000	2000	8000
4	आईटीआई, पॉलोटैक्निक इत्यादि	5000	[illegible]	5[illegible]

Signature valid

Digitally signed by Ha[illegible]anlal Guite
Designation : Director
Date: 2023.09.07 1[illegible]:55:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. 4674276

Scanned with CamScanner

4. **लाभान्वित वर्ग** : भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पीएम यशस्वी योजनान्तर्गत संचालित डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति से वंचित रहे नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को इस योजना के माध्यम से **पहले आओ पहले पाओ** (FIFO) के आधार पर अधिकतम प्रथम 30000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जावेगा।

5. **बजट प्रावधान** : डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लेखाशीर्ष 2235-02-196-(22)-[06]-13 छात्रवृत्ति एवं वृत्तिका (राज्य निधि) से छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जावेगा।

6. उक्त योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति मानक संचालन प्रक्रिया-2023 के अनुसार ही किया जावेगा।

वित्त विभाग के आई.डी क्रमांक 162301709 दिनांक 14.08.2023 के द्वारा सहमति प्राप्त है।

(एच. गुईटे)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Hau?anlal Guite
Designation: Director
Date: 2023.0?.0? 1?:55:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4074270

Scanned with CamScanner

क्रमांकः एफ 9 (4)व.घो.71/23-24/ईडब्ल्यूएस/साज्याअवि/2023/ 6831-40 जयपुर, दिनांकः 08-09-23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
5. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
8. जिला कलक्टर ....
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ....
10. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. अतिरिक्त निदेशक (पि.जा.), मुख्यावास।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक), आई.टी., मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाये जाने एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर वांछित प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करें।
13. सयुंक्त निदेशक (योजना)/वित्तीय सलाहकार/ उपनिदेशक (दिवनारायण)/सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार)/ सहायक निदेशक (शिक्षा), मुख्यावास।
14. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग .... (समस्त)
15. आदेश पत्रावली।

(प्रहलाद सहाय नागा)
अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

Signature valid

Digitally signed by Hanumanlal Guite
Designation: Director
Date: 2023.09.07 17:55:12 IST
Reason: Approved

Noting Ref No. 4674 76

Scanned with CamScanner